



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-26092026-276527
CG-CG-E-26092026-276527

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5100]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5100]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 24 सितम्बर, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20E के तहत अधिसूचना

का.आ. 5307(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड – (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 3440 तारीख 01 जुलाई 2026 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाज़ार - भाटापारा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5 वीं एवं 6 वीं लाइन (278.00 किमी) के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन 20 क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र, नव प्रदेश (हिंदी), रायपुर संस्करण दिनांक 12.07.2026, हरिभूमि (हिंदी), रायपुर संस्करण दिनांक 12.07.2026 एवं टाइम्स ऑफ़ इंडिया (अंग्रेजी), रायपुर संस्करण दिनांक 12.07.2026 में प्रकाशित किया गया था,

और निर्धारित समयावधि में दावा आपत्ति प्राप्त हुई और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया; उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है, अतः अब, केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20 ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती

है इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 ड के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनो से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी

अनुसूची

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5 वीं एवं 6 वीं लाइन (278.00 किमी) परियोजना के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाज़ार - भाटापारा जिले के अंतर्गत अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ;

1. ग्राम:- ताराशिव, तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)

क्रमांक संख्या	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	1493	0.032
2	1059	0.0120
3	1753/3	0.008
4	1753/4	0.008
5	1048/1	0.049
6	1048/2	0.029
	कुल क्षेत्रफल ताराशिव (हेक्टेयर में)	0.138

2. ग्राम:- अमलकुंडा तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)

7	960/4	0.036
8	961/1	0.020
9	891/1	0.024
10	42/2	0.202
11	960/2	0.048
12	960/6	0.040
13	1012	0.093
	कुल क्षेत्रफल अमलकुंडा (हेक्टेयर में)	0.463

3. ग्राम:- मिश्राइनडीह, तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)

14	22/2	0.016
	कुल क्षेत्रफल मिश्राइनडीह (हेक्टेयर में)	0.016

4. ग्राम:- भदरा, तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)

15	483/9	0.06
16	514/1	0.004
17	824/5	0.068
18	793/2	0.016
	कुल क्षेत्रफल भदरा (हेक्टेयर में)	0.148

5. ग्राम:- सुढेली, तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)

19	425/2	0.024
20	195/3	0.008

क्रमांक संख्या	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
21	138/1	0.010
22	138/2	0.020
23	138/3	0.008
24	37/2	0.004
25	37/4	0.006
26	67/2	0.004
27	36/2	0.020
28	32/5	0.032
	कुल क्षेत्रफल सुढेली (हेक्टेयर में)	0.136
6. ग्राम:- बिटकुली, तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)		
29	1/28	0.263
30	1/24	0.040
31	35/10	0.010
32	2/5	0.243
	कुल क्षेत्रफल बिटकुली (हेक्टेयर में)	0.556
7. ग्राम:- पनगांव , तहसील : लवन, जिला: बलौदाबाजार- भाटापारा (छ.ग .)		
33	1852/5	0.012
34	784/2	0.024
35	960/3	0.004
36	990	0.178
37	1050,1051,1052	0.073
38	505	0.097
	कुल क्षेत्रफल पनगांव (हेक्टेयर में)	0.388
सम्पूर्ण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)= 1.845		

[फा. सं.डी सी ई /सी/आर आई जी/5 वीं एवं 6 वीं /के एच एस – पी एम् एस /बलौदा बाजार/20ई/2]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

**MINISTRY OF RAILWAYS
(SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)**

NOTIFICATION

Bilaspur, the 24th September, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 5307(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **3440**, dated the **01 July 2026**, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the Railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of

Special Railway Project, namely **Kharsia - Naya Raipur - Parmalkasa 5th and 6th line (278.00 km.)** in Baloda Bazar – Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.

And, whereas the substance of the said notification 20A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers, Nav Pradesh (Hindi) Raipur Edition dated 12.07.2026, Haribhumi (Hindi), Raipur Edition dated 12.07.2026 and Times of India (English) Raipur Edition dated 12.07.2026.

And whereas, objections were received within the set time period and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 20E of the said act 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “Kharsia - Naya Raipur - Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” under Balodabazar – Bhatapara District in the state of Chhattisgarh.

1. Village: Tarashiv, Tehsil: Lavan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)

S.No.	Measle/ Plot Number	Area (in hectares)
1	1493	0.032
2	1059	0.0120
3	1753/3	0.008
4	1753/4	0.008
5	1048/1	0.049
6	1048/2	0.029
	Total areain = Tarasiva (in hectares)	0.138

2. Village: Amalkunda Tehsil: Lawan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)

7	960/4	0.036
8	961/1	0.020
9	891/1	0.024
10	42/2	0.202
11	960/2	0.048
12	960/6	0.040
13	1012	0.093
	Total Areain Amalkunda = (in hectares)	0.463

3. Village: Mishraindh, Tehsil: Lawan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)

14	22/2	0.016
	Total Area in Mishraindh = (in hectares)	0.016

4. Village: Bhadra, Tehsil: Lavan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)

15	483/9	0.06
16	514/1	0.004

S.No.	Measle/ Plot Number	Area (in hectares)
17	824/5	0.068
18	793/2	0.016
	Total areain Bhadra = (in hectares)	0.148
5. Village: Sudheli, Tehsil: Lavan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)		
19	425/2	0.024
20	195/3	0.008
21	138/1	0.010
22	138/2	0.020
23	138/3	0.008
24	37/2	0.004
25	37/4	0.006
26	67/2	0.004
27	36/2	0.020
28	32/5	0.032
	Total areain Sudheli = (in hectares)	0.136
6. Village: Bitkuli, Tehsil: Lavan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)		
29	1/28	0.263
30	1/24	0.040
31	35/10	0.010
32	2/5	0.243
	Total area Bitkuli = (in hectares)	0.556
7. Village: Pangaon, Tehsil: Lavan, District: Balodabazar-Bhatapara (Chhattisgarh)		
33	1852/5	0.012
34	784/2	0.024
35	960/3	0.004
36	990	0.178
37	1050,1051,1052	0.073
38	505	0.097
	Total areain Pangaon in) = (hectares	0.388
Total area in Hectare = 1.845		

[F. No. DCE/C/RIG/5th and 6th/KHS-PMS/Balouda Bazar/20E/2]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Construction